कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 302/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 03.08.2026

थाना- गम्भीरपुर, जनपद- आजमगढ़

साइबर ठगी गैंग का सरगना गिरफ्तार, क्लोनिंग में प्रयुक्त कूटरचित आधार कार्ड व मोबाइल फोन बरामद

AEPS क्लोनिंग के जरिए साइबर ठगी करने वाले वांछित अभियुक्त को गम्भीरपुर पुलिस व साइबर सेल ने दबोचा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन तथा थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना गम्भीरपुर पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। टीम द्वारा साइबर ठगी के मुकदमे में वांछित गैंग के सरगना अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से एक कूटरचित आधार कार्ड एवं एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.07.2026 को साइबर सेल आजमगढ़ एवं थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध बैंक खातों एवं एटीएम हॉटस्पॉट की जांच के दौरान यश विश्वकर्मा पुत्र राजकुमार विश्वकर्मा निवासी ग्राम दयालपुर, थाना गम्भीरपुर को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ एवं बरामद डिजिटल साक्ष्यों से प्रकाश में आया कि वह अपने सहयोगी सद्दाम पुत्र तौफिक निवासी ग्राम रंजीतपट्टी मुहम्मदपुर, थाना गम्भीरपुर के साथ मिलकर आधार आधारित बैंकिंग (AEPS) प्रणाली एवं बायोमेट्रिक उपकरणों का दुरुपयोग कर साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि विभिन्न बैंक खातों से निकालकर कमीशन के आधार पर आपस में बांटता था। इस संबंध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 171/2026, धारा 317(2), 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340 बीएनएस व 66D आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.08.2026 को थाना गम्भीरपुर पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सद्दाम पुत्र तौफिक, निवासी ग्राम रंजीतपट्टी मुहम्मदपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ को समय करीब 13:30 बजे रानीपुर-रजमों मोड़ से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 कूटरचित आधार कार्ड एवं 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त- सद्दाम पुत्र तौफिक, निवासी ग्राम रंजीतपट्टी मुहम्मदपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

एक अदद कूटरचित आधार कार्ड।

- एक अदद मोबाइल फोन।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 171/2026, धारा 317(2)/318(4)/319(2)/338/336(3)/340 बीएनएस व 66D आईटी एक्ट, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 171/2026, धारा 317(2)/318(4)/319(2)/338/336(3)/340 बीएनएस व 66D आईटी एक्ट, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 345/2022, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 219/2023, धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 32/2014, धारा 143/147/148/298/336/341/392/427/452/504 भा.दं.वि., थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 33/2014, धारा 147/427/452/506 भा.दं.वि., थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

6. मु0अ0सं0 35/2014, धारा 143/147/149/153A/188/295/295A भा.दं.वि., थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 योगेश सरोज, थाना गम्भीरपुर।
2. कां0 विश्वामित्र, थाना गम्भीरपुर।
3. कां0 कमलेश कुमार, थाना गम्भीरपुर।
4. उ0नि0 रविप्रकाश गौतम, प्रभारी साइबर सेल, रानी की सराय।
5. हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल, साइबर सेल, आजमगढ़।

थाना- अतरौलिया, जनपद- आजमगढ़

अतरौलिया पुलिस की कार्रवाई, जानलेवा हमला मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतरौलिया पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने जानलेवा हमला एवं मारपीट के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.06.2026 को वादी मुकदमा आकाश पुत्र छोटेलाल राजभर, निवासी ग्राम पंचायत बूढ़नपुर वार्ड नं0-11, नगर पंचायत बूढ़नपुर, थाना अतरौलिया द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि वह अपने परिजनों के साथ ग्राम पलया करौंदी में तेरहवीं कार्यक्रम से लौट रहा था। रास्ते में विपक्षीगण द्वारा उन्हें घेरकर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया तथा नगदी रुपये एवं मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली गई। इस संबंध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-211/2026, धारा 109(1)/115(2)/304/126(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.08.2026 को उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। सूचना के आधार अभियुक्त साहिल राजभर पुत्र नन्दलाल, निवासी ग्राम पलया करौदी, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को नन्दना अंडरपास के पास से समय 06:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- साहिल राजभर पुत्र नन्दलाल, निवासी ग्राम पलया करौदी, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 211/2026, धारा 109(1)/115(2)/126(2) बीएनएस, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 524/2024, धारा 305/317(2) बीएनएस, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा, थाना अतरौलिया।
2. रि0का0 हरेन्द्र, थाना अतरौलिया।
3. रि0का0 शिवप्रसाद, थाना अतरौलिया।

थाना- कन्धरापुर, जनपद- आजमगढ़

दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

कन्धरापुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित महिला अभियुक्ता को दबोचा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कन्धरापुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.07.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना कन्धरापुर पर लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि दिनांक 26.07.2026 को प्रातः शौच के लिए जाते समय अभियुक्त लवकुश कुमार पुत्र रामदरश उसे जबरन अपने घर ले गया, जहां उसकी पत्नी मनीषा देवी के सहयोग से उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा घटना का वीडियो भी बनाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0- 188/2026, धारा 65(1)/61(2)/127(2) बीएनएस एवं 16/17 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 03.08.2026 को निरीक्षक संजय कुमार मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता मनीषा देवी पत्नी लवकुश, निवासी ग्राम गयासपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष को समय लगभग 11:30 बजे उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के साथ उसका लगभग 02 वर्षीय पुत्र भी मौजूद था। गिरफ्तारी के उपरांत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता- मनीषा देवी पत्नी लवकुश, निवासी ग्राम गयासपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 188/2026, धारा 65(1)/61(2)/127(2) बीएनएस एवं 16/17 पॉक्सो एक्ट, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. नि0अ0 संजय कुमार मिश्रा, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
2. रि0का0 राणाप्रताप चौहान, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
3. रि0म0का0 रानी चौरसिया, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

थाना- तहबरपुर, जनपद- आजमगढ़

नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

तहबरपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तहबरपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.06.2026 को वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री को आदित्य पुत्र मिथिलेश, निवासी ग्राम सोहिला, थाना तहबरपुर, बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। इस संबंध में थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0- 106/2026, धारा 87, 137(2) भा.न्या.सं. के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना एवं साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 64(1) भा.न्या.सं. तथा 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं पीड़िता की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.08.2026 को उ0नि0 अम्बिका प्रसाद साहनी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आदित्य कुमार पुत्र मिथिलेश, निवासी ग्राम सोहिला, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष को नैपुरा अंडरपास, ग्राम नैपुरा, थाना तहबरपुर से समय 11:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य कुमार पुत्र मिथिलेश, निवासी ग्राम सोहिला, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 106/2026, धारा 87, 137(2), 64(1) भा.न्या.सं. एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अम्बिका प्रसाद साहनी, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 अरविन्द कुमार, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।